

2024/434

निर्दिष्ट
07-08-2024

फर्द अहकाम

(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ़

प्रदीप सिहाग

बनाम

स्टेट

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट

प्रकरण संख्या 265 वर्ष 2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
26.07.2024	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा 31.07.2024 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">म</p>	
31.7.2024	<p>चकुलाए फरिक्लेन उपास्थत/PU माह 31.7.2024</p> <p>मे 07.08.24 है। पत्रावली सुकदिनाई.</p> <p>मस्त 07.08.2024 दिनांक</p> <p>क पेश हो - म</p>	
07.8.2024	<p>चकुलाए फरिक्लेन उपास्थत/PU स्टेट जज</p> <p>माह 31.7.2024</p> <p>पत्रावली सुकदिनाई</p> <p>मे 07.08.24 है। पत्रावली सुकदिनाई.</p> <p>मस्त 07.08.2024 दिनांक</p> <p>क पेश हो - म</p>	



डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ.आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :- श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :- 365/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

प्रदीप सिहाग पुत्र कृष्णलाल जाति जाट निवासी बरमसर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

-वादी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व रावतसर जिला हनुमानगढ़।

-प्रतिवादी

उपस्थित:- श्री नन्दलाल गौल्याण वकील-वादी
राजपेरोकार प्रतिवादी

निर्णय दिनांक- 7-8.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ संजय कुमार आर.ए.एस. उपखण्डाधिकारी रावतसर के समक्ष उपरोक्त अभिभाषकगण की उपस्थिति में घोषणा की जाती है कि चक 29 डीडब्ल्यूडी के खाता सं. 7/6 के प.नं. 132/29(9) कि.नं. 8 की 0.046 है. अनकमाण्ड व खाता सं. 35/31 के प.नं. 132/29(9) कि.नं. 9 की 0.075 है., 10 की 0.075 है. = 0.150 है. कुल तादादी 0.196 है. अनकमाण्ड भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे। खर्चा फरिकेन अपना अपना वहन करेंगे।

आज यह पर्चा डिक्री हमारे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 07-08.2024
..... को जारी की गई।

021 7
(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर